संख्या-62/1515/17-27-सिं-3-33 विविध/2017

प्रेषक,

रमेश चन्द्र उत्तम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2017**

विषय : ई-प्रोक्योरमेन्ट के रूप में गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल के उपयोग हेतु प्राथमिक उपयोग कर्ता (प्राइमरी यूजर्स) तथा वेरीफाइंग आफीसर के रूप में अधिकारियों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सू0प्र0सं0), डा0 राम मनोहर लोहिया न्यू परिकल्प भवन तेलीबाग, लखनऊ के पत्रांक-743/प्र0अ0(सिंचाई)/मु0अ0(सू0प्र0सं0), दिनांक 26.09.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा प्रदेश के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं आदि में सामग्री एवं आपूर्ति के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विकसित गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल को अंगीकृत करते हुए इस पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है।

3- उक्त के क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के रूप में गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल के उपयोग हेतु प्राथमिक उपयोग कर्ता (प्राइमरी यूजर्स) तथा वेरीफाइंग आफीसर के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों को पदनाम से इंगित भूमिका हेतु नामित किया जाता है :-

क्रमांक	भूमिका (Role)	संगठन	अधिकृत अधिकारी का नाम	कार्यालय का पता
01	Primmary User	सिविल	प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) Email-eincprojirriglu-up@nic.in	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
		यांत्रिक	प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) Email-eincmechiduplu-up@nic.in	-तदैव-
02	Verifying Officer	सिविल यांत्रिक	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष Email-eincididuplu-up@nic.in	-तदैव-

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

4- उल्लेखनीय है कि उक्त पोर्टल के उपयोग हेतु उपर्युक्त अधिकारियों को उनके पदनाम से प्राथमिक उपयोग कर्ता (प्राइमरी यूजर्स) तथा वेरीफाइंग आफीसर के लिए निम्नलिखित शर्ते भी निर्धारित की जाती हैं :-

(1) उपरोक्त प्राइमरी यूजर Gem (http://gem.gov.in/auth/register) पर पंजीकरण करा लेंगे।

(2) प्राइमरी यूजर्स के जेम (GeM) पर पंजीकरण हेतु निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता होगी :-

(a) आधार नम्बर

(b) आधार नम्बर से जुडा मोबाइल नम्बर

(c) सरकारी ई-मेल आई0डी0 Gem (nic.in/gov.in domain पर)

(3) एक रूपता के लिए प्राइमरी यूजर्स द्वारा उक्त मेल आई0डी0 का एकाउन्ट नेम/यूजर नेम @ (से पूर्व का भाग) यूजर आई0डी0 के रूप में रखा जाय।

(4) प्राइमरी यूजर्स की जिम्मेदारी होगी की सभी सेकेण्डरी सूजर्स जेम पोर्टल के परिचालन से परिचित होकर सही ढंग से इसका उपयोग करें।

(5) सभी उपयोगकर्ता जेम पोर्टल के नियमों एवं शर्तो के अनुसार एवं शासन द्वारा विहित प्रक्रियाओं के तहत जेम पोर्टल का उपयोग करें।

कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

रमेश चन्द्र उत्तम
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं तददिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (सू0प्र0सं0), डा0 राम मनोहर लाहिया न्यू परिकल्प भवन तेलीबाग, लखनऊ को उनके पत्रांक-743/प्र03अ0(सिंचाई)/मु0अ0(सू0प्र0सं0), दिनांक 26.09.2017 के सन्दर्भ में।

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिवाजी सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।